

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/51/2024

दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर.

विषय:- प्र.सं. 51 / 2024 अनवान जयसिंह पिता देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, कमल पुत्री देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, गोपीराम पुत्र डालू मीणा निवासी जालमपुरा, बख्तावर पिता डालू मीणा निवासी जालमपुरा, बसन्त सिंह है पिता डालू निवासी जालमपुरा, सोहनी पत्नी देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा बनाम लाखाराम पिता जगन्नाथ मीणा निवासी जालमपुरा, जसवीर पिता मोतीलाल मीणा मीणा निवासी जालमपुरा, राजवीर पिता अकलीग मीणा निवासी जालमपुरा, पृथ्वीराज पिता यादराज मीणा निवासी जालमपुरा, लादू मीणा देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा, गणपत पिता हजारी मीणा निवासी जालमपुरा, बाबू पिता छगन मीणा निवासी जालमपुरा, शैतान पिता भूरालाल मीणा निवासी जालमपुरा, बजरंग मीणा पिता किशना मीणा निवासी जालमपुरा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम जालमपुरा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 101/1, 141/1, 142, 344/2, 348, 349/2, 350, 351, 389, 391, 392, 394, 395/1, 397, 402/2, 404, 406/2, 53, 54/2, 58/1, 97, कुल कित्ता 21 रकबा 9.1296 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 9000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 900 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

जयसिंह पिता देवीलाल मीणा निवासी जालमपुरा वगैरह
बनाम

लाखाराम पिता जगन्नाथ मीणा निवासी जालमपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 51 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम जालमपुरा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 101/1, 141/1, 142, 344/2, 348, 349/2, 350, 351, 389, 391, 392, 394, 395/1, 397, 402/2, 404, 406/2, 53, 54/2, 58/1, 97, कुल कित्ता 21 रकबा 9.1296 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है। ग्राम जालमपुरा प.ह. रावतखेड़ा आराजी सं. 101/1, 141/1, 142, 344/2, 348, 349/2, 350, 351, 389, 391, 392, 394, 395/1, 397, 402/2, 404, 406/2, 53, 54/2, 58/1, 97, कुल कित्ता 21 रकबा 9.1296 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 9000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 900 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)